भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 24
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 25 नवम्बर, 2024
4 अग्रहायण, 1946(शक)

सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करना

24. श्रीमती शांभवी:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए शुरू की गई पहलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई योजनाओं की संख्या, नाम और उनका ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजनाओं के विज्ञापन के लिए आवंटित धनराशि और उपयोग की गई बजट की राशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) महाराष्ट्र और बिहार राज्यों मे भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई योजनाओं की संख्या, नाम और उनका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय रूप से संरक्षित सभी स्मारकों का नियमित रूप से रख-रखाव करता है। इसके अलावा, पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण स्मारकों में सुविधाएं और सूचना उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करने के लिए संरक्षित स्मारकों में सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2003 में सरकारी/निजी क्षेत्र की कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों आदि के साथ मिलकर रूपरेखा तैयार करने के लिए एडाप्ट ए हैरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है ताकि स्मारकों को पर्यटन के अनुकूल बनाया जा सके।
अकादमियों और जेडसीसी के माध्यम से सांस्कृतिक परिरक्षण, दस्तावेजीकरण, अनुसंधान, प्रकाशन, सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

(ख): भारत सरकार वैश्विक जुड़ाव योजना के माध्यम से विदेश में भारतीय लोक कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा देती है जिसके अंतर्गत अन्य देशों में भारत के उत्सवों का आयोजन किया जाता है जिसमें प्रदर्शनियों, नृत्य, संगीत, रंगमंच, खाद्य उत्सव, फिल्म उत्सव, योग आदि के रूप में लोक कला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और भारत विदेशी मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटियों को विदेश में लोक कला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है ।

(ग): भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए कई पहल की हैं। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक व्यापक योजना 'कला संस्कृति विकास योजना' विकसित की गई है जिसमें कई उप-योजनाएं शामिल हैं जैसे:

(का) गुरु शिष्य परम्परा का प्रचार।

(खा) कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना।

(गा) टैगोर सांस्कृतिक परिसर का निर्माण।

(घा) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजना।

पिछले पांच वर्षों के दौरान कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत वितरित की गई निधियों का ब्योरा इस प्रकार है :

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	वर्ष	संवितरित कुल धनराशि
1.	2020-21	100.31
2.	2021-22	126.18
3.	2022-23	182.25
4.	2023-24	166.95
5.	2024-25 (21.11.2024 तक)	59.98

(घ) बिहार और महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित स्मारकों के लिए 'एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0' के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं :

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्मारक का नाम
1.	बिहार	बौद्ध स्तूप, केसरिया, चंपारण
2.	महाराष्ट्र	एलीफेंटा गुफाएँ, रायगढ़ (महाराष्ट्र)

"कला संस्कृति विकास योजना" के तहत महाराष्ट्र और बिहार राज्यों को वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	कुल आवंटित धनराशि	
		बिहार	महाराष्ट्र
1.	2020-21	2.69	4.48
2.	2021-22	3.40	6.98
3.	2022-23	6.28	8.54
4.	2023-24	8.19	16.28
5.	2024-25 (21.11.2024 तक)	1.45	4.79

*****